

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :: मांगेराम पूनियां R.T.S.
मिसल नं. :: 126 / 2016

सरकार बनाम दौलत सिंह (पपू सिंह) पुत्र हरिसिंह,,
जाति-राजपूत, निवासी- सूजड़ोला

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 22.12.2016

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल दौलत सिंह (पपू सिंह) पुत्र हरिसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-सूजड़ोला द्वारा रोही मौजा सूजड़ोला की राजकीय भूमि ख.नं. 177 कुल रकबा 10.30 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.10 है० भूमि पर बाड़ा, ढारा, टीन शैड बनाकर एवं छड़ी डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि उसने स्वयं की खातेदारी भूमि ख.नं. 216, 17 में मकान एवं ढारा बना रखा है, उक्त भूमि ख.नं. 177 से सटकर है। वह अपनी खातेदारी भूमि पर ही काबिज है। ख.नं. 177 के सीमाज्ञान करवाने का निवेदन किया है। गैर सायल ने अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत नहीं पेश किया है। अतः गैर सायल की ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536 / 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 30 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं. 42 पर
वर्ष 2016-17 में रुपये 30/- कायम कि।
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़